

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसद, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

राजेश कुमार पुत्र हरिणीह वनाम मंगलुराम पुत्र दलुलाम जारि जाट
 जारि जाट निवामी राजपुरा निवामी राजपुरा आदि
 दावा बाबत :- 88 RTI Act
 मुकदमा नम्बर :- 111/21
 निर्णय दिनांक :- 13-12-2021


वादी की ओर से वकील गुन्नीराम जी स्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्रीमती मीना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती मीना राजपुरा वारानी के खाली नं० 25/24 के गुणनं० 28 डिता नं० 27, 25, गुणनं० 29 डिता नं० 1, 10, 11, 20 गुणनं० 39 डिता नं० 1-2 कुत नं० 538 है व नं० 10 BMD के खाली नं० 63/57 के गुणनं० 16 डिता नं० 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 गुणनं० 37 14, 15, 16/1, 17/1 गुणनं० 38 डिता नं० 11, 12, 20/1 कुत नं० 539 है यदि भूमि जो प्रतिवादी नं० 1 मंगलुराम के नाम दर्ज है में प्रतिवादी मंगलुराम की वजाप वादी व प्रतिवादी नं० 7 नं० 9 मयूमर रूप से 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 मंगलुराम के 1/7 हिस्सा जो खाली नं० 63/57 के धोखे से दिया जाया है यदि धरि नं० 2 नं० 6 के अपना एक हिस्सा वादी व धरि नं० 7 नं० 9 के पक्ष में वजाप कर शुल कर तिपा है धरि नं० 7 नं० 9 के पक्ष में वजाप कर शुल व धरि भूमि बोन रदन है तो रदन मुफ्त होने पर उपरोक्त नं० 63/57 राजस्व रिडॉरि करुनर तिपा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 श्रीमति शकुन्तला चौधरी
 (आर० ए० एस०)
 उपखण्ड अधिकारी भादरा
 हनुमागढ़